**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 530**

**दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापार लाभ**

**530. श्री एन. गोकुलकृष्णन:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के व्यापार से होने वाले लाभ की उच्चतम सीमा तय की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उन सभी संबंधित लोगों, जो आयातित चिकित्सा उपकरणों का कारोबार करते हैं, को मूल्यों को कम करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क):** सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के व्यापार से होने वाले लाभ की उच्चतम सीमा के विभिन्न पहलुओं की जांच की है लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**(ख):** उपरोक्त (क) के जवाब को ध्यान में रखते हुए तत्संबंधी कोई विवरण नहीं है।

**(ग):** जी, नहीं।

**(घ):** उपरोक्त (ग) के जवाब को ध्यान में रखते हुए तत्संबंधी कोई विवरण नहीं है।

**\*\*\*\*\***